न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1237–तीन/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 07/अपील/06–07.

1– हनुमान प्रसाद नाई तनय टिन्ना नाई
2– रामखिलावन तनय टिन्ना नाई
दोनों निवासी ग्राम नकझार खुर्द
तहसील सिहावल जिला सीधी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मिथिलेश प्रसाद
2– नागेन्द्र प्रसाद
तनय ददोल राम ब्राह्मण
दोनों निवासी ग्राम नकझार खुर्द
तहसील सिहाबल जिला सीधी म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा अधिवक्ता, आवेदक

आदेश ::

(आज दिनांक 01 फरवरी 15 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 07/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 28–4–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 89 के तहत ग्राम नकझार की आराजी नं. 119 व 120 के संबंध में मुताबिक मौका स्थल एवं अधिकार अभिलेख के खसरे एवं नक्शे के आधार पर प्लाट एवं रकबा सुधार किए जाने हेतु आवेदन पेश किया । तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही उपरांत उक्त आवेदन आदेश दिनांक 24–11–2003 द्वारा स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 26–9–06 द्वारा स्वीकार की । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ

न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा इस आधार पर स्वीकार की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्र0क0 52/अ-74/02-03 जिसके आधार पर उन्होंने अपील स्वीकार की थी के संबंध में यह नहीं देखा कि उक्त प्रकरण का अनावेदकों से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह प्रकरण किन पक्षकार के मध्य था तथा किस कारण निरस्त किया गया और यह भी नहीं देखा कि उक्त प्रकरण में आवेदकगण पक्षकार हैं । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदकगण की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि यह प्रकरण नक्शा सशोधन का है, जिसके अधिकार संहिता की धारा 107(5) के तहत केवल कलेक्टर को है । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के मध्य सर्वे न. 120 के सबंध में दिनांक 7-2-03 को निर्णय दिया था इसी तथ्य पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य पुनः दिनांक 24-11-03 को विरोधाभाषी निर्णय पारित किया है, जो अधिकारिता रहित है । अनुविभागीय अधिकारी ने इसी कारण तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया था । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर तथा अभिलेख के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है ।

4- अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण स्थल के अनुसार नक्शे के अधिकार पर प्लॉट में एक भू-अभिलेख मे सुधार हेतु अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । प्रकरण में जांच उपरांत तहसीलदार ने आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने निरस्त करते हुए तहसील के आदेश को स्थिर रखा है । प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश मे उल्लेख किया है कि प्रकरण कमांक 52/अ-74/02-03 मे जांच होकर प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया कि सीमाओं में कोई त्रुटि नहीं है और तहसील न्यायालय ने अनावेदक के आवेदन को निरस्त किया था जो अनावेदक पर बंधनकारी है और पूर्व मामले में जो निर्णय है उसके आधार पर प्रकरण चलने योग्य नहीं है, इसकी अनदेखी करते हुए अवैध रूप से तहसीलदार ने आदेश पारित किया था । उन्होंने यह भी पाया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अंतरण का आवेदन दिया गया था जिस पर कि अभिलेख की मांग करने पर भी उन्होंने आदेश पत्रिका में ऊपरी लेखन करके आदेश

पारित कर दिया । पटवारी ने कोई जाच दुबारा नहीं की न पक्षकारों को सूचना दी और गलत ढंग से प्रतिवेदन बनाया है । विपक्षी को आपत्ति गवाह आदि का कोई अवसर नहीं दिया गया इस कारण तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि एक पीठासीन अधिकारी ने लिपिकीय त्रुटि आवेदन पत्र गलत होने के कारण निरस्त किया और आलोच्य आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है । मूल आवेदन में इस तथ्य को छिपाया गया है कि पूर्व के आदेश का कोई हवाला नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में पुनः जांच कर कोई आदेश देने की आवश्यकता होने के आधार पर निष्कर्ष दिए है । इन निष्कर्षों के संबंध में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में मनमाने ढंग से उल्लेख किया है जो पुष्टि योग्य नहीं है । अपर आयुक्त का यह कहना कि पूर्व प्रकरण पक्षकार के बीच नही चला इस संबंध में अभिलेख में प्रकरण कमांक 52/अ--74/02--03 में पारित आदेश की प्रति सलग्न है जिससे स्पष्ट है कि मूल आवेदन अनावेदक के द्वारा लगाया गया था और इस कारण यह उन पर बंधनकारी है । इस संबंध में कोई निष्कर्ष अपर आयुक्त ने नही दिया है । ऐसी स्थिति में उनका आदेश विधिसम्मत, उचित और न्यायिक न होने से पुष्टि योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर